15/04/25 आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। बाद तकमील पत्रावली दाखिल जिला रिकार्ड भण्डार हो। सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार बलाई

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
11/2024	12.03.2024	15.04.2025

बउनवान

1. **चन्द्रभान पुत्र श्री श्योनाथ जाति जाट निवासी सुखमनहेडी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।**

—: प्रार्थी

बनाम

1. **राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।**

—: अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र — अन्तर्गत धारा 136
भू0 राजस्व अधिनियम 1956

श्री विजयपाल शर्मा :— प्रार्थी अधिवक्ता

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार निम्न प्रकार से है कि :—

1. यह है कि आराजी ख० नं० हाल 1920/0.14 हैक0, 1924/1.16 है, कुल किता 2 कुल रकबा 1.30 हैक०, वाके ग्राम पेहल तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल जमाबन्दी हाल संलग्न प्रार्थना पत्र है।
2. यह है कि आराजी मुतनाजा प्रार्थी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है, एवं समस्त ऋण भारो से मुक्त है, एंव प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं हिस्से बाबत कोई विवाद भी नहीं है। प्रार्थी अपने हिस्से पर नियमित व निरन्तर बेरोकटोक काबिज होकर काश्त कार्य कर रहा है।
3. यह है आराजी उपरोक्त का सैटलमेन्ट करते समय राजस्व कर्मचारियो द्वारा मिन प्रार्थी का नाम चन्दर पुत्र श्योनाथ दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी के समस्त पहचान के दस्तावेजात पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड आदि में व अन्य आराजी ख० नं० 148/0.16 हैक0, 154/0.08 हैव0, 164/0.24 हैक0, 222/0.22 हैक, कुल किता 4 कुल रकबा 0.70 हैक0, वाके ग्राम सुखमनहेडी

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

तहसील मुण्डावर मे वास्तविक नाम चन्द्रभान पुत्र श्योनाथ अंकित है, इसलिये प्रार्थी अपना नाम चन्दर पुत्र श्योनाथ के स्थान पर चन्द्रभान पुत्र श्योनाथ दर्ज कराने का अधिकारी है।

4. यह है कि प्रार्थी के परिवार मे चन्दर नाम का कोई दीगर व्यक्ति नहीं है, और ना ही कभी पहले रहा है। चन्दर का उपनाम चन्द्रभान है, प्रार्थी के परिवार में चन्दर नाम का अलग व्यक्ति नहीं है। जिसे मिन प्रार्थी दुरूस्त कराने का अधिकारी है।

5. यह है कि प्रार्थी राजस्व रिकोर्ड में अपना नाम शुद्व कराने के लिये प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। प्रार्थी किसी दीगर खातेदार का हक व हिस्सा नहीं लेना चाहता है। राजस्व रिकोर्ड में हो रहे गलत अंकन को शुद्वीपत्र के जरिये शुद्व कराने के लिये आवेदन पेश करना लाजिमी आया है।

6. यह है कि दिनांक 03/10/2023 को मिन प्रार्थी द्वारा अपने राजस्व रिकोर्ड की नकले प्राप्त करने पर उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुयी जिस पर मिन प्रार्थी ने अपना नाम दुरूस्त कराने के लिये निवेदन किया तो अप्रार्थी ने अदालत से आदेश लाने के लिये कहकर टाल दिया इसलिये प्रार्थना पत्र अविलम्ब ही श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि :–

अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि उक्त आराजी ख0 नं0 हाल 1920/0.14 है0, 1924/1.16 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.30 है0, वाके ग्राम पेहल तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में दर्ज राजस्व रिकोर्ड में चन्दर पुत्र श्योनाथ के स्थान पर सही व वास्तविक नाम चन्द्रभान पुत्र श्योनाथ दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावें। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर अपना जबाव प्रस्तुत किया गया, जो पत्रावली में शामिल है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में ग्राम पंचायत नंगली ओझा का लेटर पैड, जमाबन्दी सम्वत 2073–76, राशनकार्ड, पहचान पत्र, जमाबन्दी सम्वत 2071–74 पेश की है।

प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के समर्थन में बहस के दौराने कथन कहे कि प्रार्थी का नाम विवादित आराजी के चन्दर पुत्र श्योनाथ दर्ज है, जबकी प्रार्थी का दस्तावेजात में सही नाम चन्द्रभान पुत्र श्योनाथ दर्ज है। प्रार्थी का गलत नाम चन्दर को हजफ कर उसके स्थान चन्द्रभान पुत्र श्योनाथ दर्ज किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

धारा अन्तर्गत 136 LR ACT 1956
उनवान चन्द्रभान बनाम राज0 सरकार
मुकदमा नम्बर 11 दिनांक 12.03.2024
आदेश दिनांक 15.04.2025

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर विवेचन इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में चन्दर ना होकर चन्द्रभान है। इसलिए यह न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में प्रार्थना पत्र को स्वीकर किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 1920/0.14 है0, 1924/1.16 वाके ग्राम पेहल तह0 मुण्डावर के राजस्व रिकॉड में दर्ज चन्दर को कलमजन किया जाकर प्रार्थी चन्द्रभान पुत्र श्योनाथ के नाम का अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर वाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0